



ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्म-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-2.25

Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025

Page No.-143-152

©2025 Gyanvividha

<https://journal.gyanvividha.com>

Author's :

डॉ. गुलाम रब्बानी

MA, PhD, इतिहास विभाग,
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी,
दरभंगा (बिहार).

Corresponding Author :

डॉ. गुलाम रब्बानी

MA, PhD, इतिहास विभाग,
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी,
दरभंगा (बिहार).

औपनिवेशिक काल के कारागारों में महिला कैदियों के जीवन और उनके सुधार के प्रयासों का इतिहास

सार : प्रस्तुत शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत (1858-1947) के कारागारों में कैद महिला अपराधियों की विशिष्ट और बहुआयामी दुर्दशा का गहन ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। यह कार्य पुरुष-केंद्रित जेल इतिहास की परिधि से हटकर, लिंग (Gender) और दंडात्मकता (Penalty) के अंतर्संबंधों की जाँच करता है। यह शोध-प्रबंध सरकारी राजपत्रों (Gazettes), जेल सुधार समितियों की रिपोर्टों, जेल मैनुअलों, तथा समकालीन यात्रा वृत्तांतों जैसे प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करते हुए गुणात्मक-विश्लेषणात्मक कार्यप्रणाली (Qualitative-Analytical Methodology) पर आधारित है।

यह शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि औपनिवेशिक जेल प्रणाली ने महिला कैदियों के लिए नियंत्रण और दमन का एक दोहरा ढाँचा स्थापित किया। उनकी कैद केवल दंड संहिता के उल्लंघन के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके लिंग-आधारित 'शुद्धता' (Purity) के मानदंडों से विचलन के लिए भी थी। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अस्वच्छता (Unsanitary conditions), चिकित्सा उपेक्षा (Medical Neglect) (विशेषकर मातृत्व और स्त्री रोग संबंधी), और यौन शोषण (Sexual Harassment) महिला कैदियों के अनुभवों की मुख्य विशेषताएँ थीं। यद्यपि प्रशासन ने कुछ 'सुधार' पहलें शुरू कीं, ये प्रयास अक्सर प्रतीकात्मक थे और इनका उद्देश्य 'सभ्य बनाने के औपनिवेशिक मिशन' (Colonial Mission of Civilization) को पूरा करना था, न कि कैदियों के वास्तविक पुनर्वास को। अतः, ये सुधार जेल की मौलिक कठोरता और दमनकारी प्रकृति को बदलने में विफल रहे।

मुख्य शब्द: औपनिवेशिक जेल इतिहास, महिला कैदी, लिंग और दंड, कारागार सुधार, दंडात्मकता, ब्रिटिश भारत।

परिचय : भारतीय दंड प्रणाली (Penal System) के इतिहास का अध्ययन औपनिवेशिक काल (1858-1947) में ब्रिटिश प्रशासनिक ढाँचे के विस्तार और नियंत्रण की नीति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण

है। पारंपरिक तौर पर, औपनिवेशिक कारागार इतिहास का अधिकांश भाग पुरुष कैदियों (Male Inmates) और जेलों की प्रशासनिक, वित्तीय तथा भौतिक संरचनाओं पर केंद्रित रहा है¹⁹¹। इस विमर्श में, महिला कैदियों के अनुभव को अक्सर एक उप-खंड (Sub-section) तक सीमित रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन की विशिष्ट कठोरताएँ और चुनौतियाँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड में धूमिल रही हैं।

यह शोध पत्र इस मूलभूत अंतराल (Gap) को संबोधित करता है। कारागार, दंड और सुधार की औपनिवेशिक विचारधारा ने महिलाओं को पुरुषों से भिन्न तरीके से लक्षित किया, क्योंकि महिला अपराध को न केवल कानून का उल्लंघन माना गया, बल्कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था (Patriarchal Social Order) और लिंग-आधारित 'नैतिकता' (Gendered 'Morality') से विचलन के रूप में भी देखा गया¹⁹²। इस दृष्टिकोण ने जेल के भीतर महिला कैदियों के लिए एक विशिष्ट और दोहरी दमनकारी परिस्थिति (Dual Oppressive Situation) उत्पन्न की, जिसमें उन्हें दंडात्मक कठोरता के साथ-साथ लिंग-विशिष्ट दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

शोध के प्रश्न और उद्देश्य (Research Questions and Objectives) : यह शोध निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों की जाँच द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है:

1. औपनिवेशिक भारत के कारागारों में महिला कैदियों के दैनिक जीवन, श्रम की प्रकृति और भौतिक परिस्थितियाँ क्या थीं?
2. महिला कैदियों को किस हद तक लिंग-विशिष्ट दुर्व्यवहार (जैसे, यौन शोषण, चिकित्सा उपेक्षा और मातृत्व संबंधी चुनौतियाँ) का सामना करना पड़ा?
3. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा महिला कैदियों के लिए लागू की गई 'सुधार' नीतियाँ (Reform Policies) क्या थीं, और उनके पीछे अंतर्निहित औपनिवेशिक तर्क (Colonial Rationale) क्या था?
4. इन सुधार प्रयासों का महिला कैदियों के पुनर्वास (Rehabilitation) पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ा, और ये नीतियाँ जेल की मौलिक दमनकारी प्रकृति को बदलने में कहाँ तक सफल रहीं?

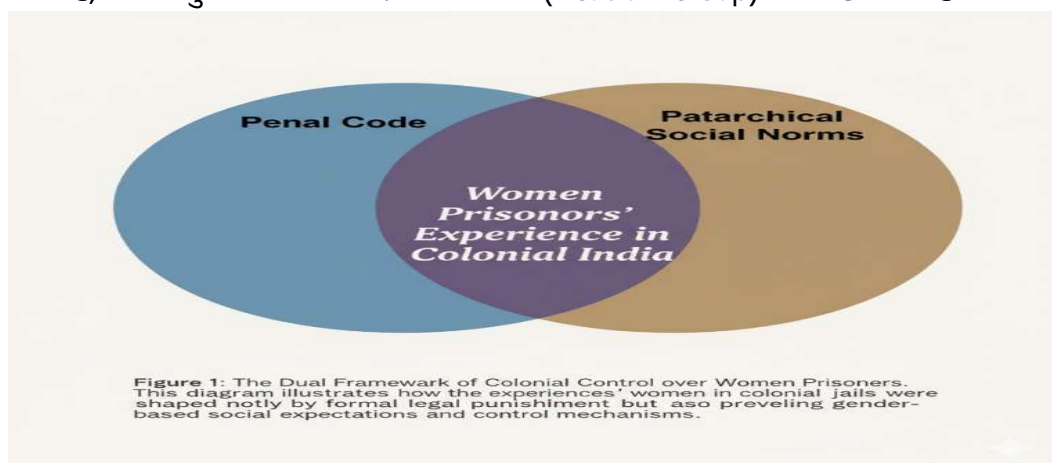
शोध का केंद्रीय उद्देश्य औपनिवेशिक जेलों के इतिहास को लिंग-संवेदी लेंस (Gender-Sensitive Lens) के माध्यम से पुनःविश्लेषित करना और यह स्थापित करना है कि महिला कैदियों के अनुभव दंडात्मक न्यायशास्त्र (Penal Jurisprudence) और सामाजिक नियंत्रण के इतिहास को समझने के लिए अपरिहार्य हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व (Historical Context and Significance): भारत सरकार अधिनियम 1858 के पश्चात्, ब्रिटिश क्राउन ने जेल प्रशासन में मानकीकरण (Standardization) और कठोरता लाने के लिए व्यापक कदम उठाए। जेल सुधार समितियों की श्रृंखला (Series of Jail Commissions), जैसे कि 1838 की मैकलॉड समिति (Macleod Committee), 1864 की कैम्पबेल समिति (Campbell Committee), और विशेष रूप से 1892 की एथर्टन वेस्ट समिति (Atherton West Committee), ने जेल प्रबंधन और कैदी कल्याण पर सुझाव दिए, किंतु महिला कैदियों के विशिष्ट मुद्दों को हमेशा एक हाशिए की चिंता के रूप में देखा गया।

यह शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औपनिवेशिक सत्ता (Colonial Authority) द्वारा महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए गए तंत्रों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे 'सभ्यता के मिशन' (Mission of Civilisation) और 'सुधार' के नारे जेल के भीतर की कठोर और अपर्याप्त परिस्थितियों को छुपाते थे, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिन्हें समाज पहले ही त्याग चुका था। यह पत्र समकालीन जेल सुधार आंदोलनों (Contemporary Prison Reform Movements) के लिए भी प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आज भी लिंग-संवेदनशील और मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर बल देते हैं।

साहित्य समीक्षा (Literature Review) : साहित्य समीक्षा (Literature Review) का उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कारागार इतिहास, लिंग (Gender), और दंडात्मकता (Penalty) पर उपलब्ध प्रमुख अकादमिक कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यह खंड मौजूदा ज्ञान के आधार को स्थापित करता है, महत्वपूर्ण विमर्शों की

पहचान करता है, और प्रस्तुत शोध के अकादमिक अंतराल (Academic Gap) को स्पष्ट करता है।



आकृति 1: महिला कैदियों पर औपनिवेशिक नियंत्रण का दोहरा ढाँचा।"

यह आरेख दर्शाता है कि औपनिवेशिक जेलों में महिलाओं के अनुभव न केवल औपचारिक कानूनी सज़ा से, बल्कि प्रचलित लिंग-आधारित सामाजिक अपेक्षाओं और नियंत्रण तंत्रों से भी किस प्रकार आकार लेते थे।

कारागार इतिहास पर पारंपरिक विमर्श: पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण : प्रारंभिक अकादमिक अध्ययन मुख्य रूप से औपनिवेशिक राज्य की संस्थाओं के विकास पर केंद्रित रहे हैं। डेविड अनॉल्ड ^[1], मिचेल फूको ^[2] और अलेक्जेंडर गैराउर ^[3] जैसे विद्वानों ने जेलों को राज्य शक्ति (State Power) के उपकरण और अनुशासन के स्थानों के रूप में विश्लेषित किया है। अनॉल्ड ने विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में पुलिस शक्ति और जेल प्रशासन के माध्यम से औपनिवेशिक नियंत्रण की प्रक्रियाओं को उजागर किया।

- निष्कर्ष: इन अध्ययनों ने जेलों की भौतिक वास्तुकला, प्रशासनिक कठोरता और श्रम नीतियों (जैसे, पुरुष कैदियों द्वारा किया जाने वाला कठिन श्रम) की व्यापक जानकारी दी है।
- आलोचना/अंतराल: ये कार्य दंड के अनुभवों को लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) मानते हैं, या महिलाओं को केवल हाशिए के आंकड़े (Marginal Figures) के रूप में दर्शाते हैं। ये महिला कैदियों की लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं (Gender-Specific Needs) और अधिकारों के हनन को समझने में विफल रहे हैं, जिससे उनकी कथाएँ दमित रह गई हैं।

लिंग और औपनिवेशिक विधि पर नारीवादी अध्ययन : नारीवादी और उपनिवेशोत्तर (Post-colonial) सिद्धांतकारों ने दंड (Punishment) और सत्ता (Power) के बीच के संबंधों की जटिलता को उजागर किया है, विशेष रूप से जब इसे लिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जेंडर-आधारित अध्ययन, जैसे कि राधिका चोपड़ा ^[4] के कार्य, ने औपनिवेशिक न्यायशास्त्र (Colonial Jurisprudence) की पड़ताल की है, यह दर्शाते हुए कि कैसे भारतीय महिलाओं को कानून की दोहरी तलवार का सामना करना पड़ा: एक औपनिवेशिक कानून की, और दूसरी सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की।

महत्व: इस साहित्य ने स्थापित किया कि महिला अपराध को पुरुष अपराध से अधिक 'अनैतिक' और सामाजिक व्यवस्था के लिए विघटनकारी (Disruptive) माना जाता था। इससे जेल प्रशासन को महिलाओं के लिए कठोर नैतिक सुधार (Moral Reform) लागू करने का औचित्य मिला।

- उदाहरण: जेलों में महिला कैदियों को अक्सर 'पतनशील' (Degenerate) के रूप में वर्गीकृत किया जाता था, और उनके श्रम को 'पुनर्वास' के नाम पर घरेलू कार्यों (Domestic Labour) तक सीमित रखा जाता था ^[5]।

महिला कैदियों के अनुभव पर विशेष साहित्य : उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की जेल रिपोर्टें और कुछ आधुनिक शोधों ने महिला कैदियों की विशिष्ट दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इस विमर्श के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं :

- स्वास्थ्य और स्वच्छता (Health and Hygiene): जेल अभिलेखों की जाँच करने वाले विद्वानों ने अक्सर महिला वार्डों में भीड़भाड़ (Overcrowding), बुरी स्वच्छता और चिकित्सा उपेक्षा की व्यापकता को दर्शाया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मातृत्व, प्रसव और शिशु देखभाल से संबंधित विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई, जिससे शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) और महिला कैदियों की रुग्णता (Morbidity) दरें पुरुषों की तुलना में अधिक रहीं [7]।
- शोषण और नियंत्रण: महिला अधीक्षकों (Matrons) की अनुपस्थिति या अपर्याप्त संख्या के कारण, पुरुष जेल कर्मचारियों द्वारा यौन शोषण (Sexual Exploitation) की संभावनाएँ और घटनाएँ अत्यधिक थीं। यह एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है जिसका आधिकारिक रिपोर्टों में अक्सर कम प्रतिनिधित्व किया जाता था, किंतु यात्रा वृत्तांतों और न्यायिक जाँचों में इसके साक्ष्य मिलते हैं।

सुधार नीतियाँ और उनकी विफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन : औपनिवेशिक काल में, जेल सुधार को अक्सर 'सभ्य और मानवीय शासन' का प्रतीक माना जाता था। 1864 की कैपबेल समिति ने महिला कैदियों के लिए अलग नियम और महिला पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया।

- आलोचनात्मक दृष्टिकोण: सारा मेइने [8] और अन्य शोधकर्ताओं ने इन सुधारों की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है। सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य कैदी के कल्याण से अधिक प्रशासनिक दक्षता और ब्रिटिश शासन की नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना था।
- विरोध : 'सुधार' की नीतियाँ, जैसे कि सिलाई या बुनाई का प्रशिक्षण, महिला कैदियों के लिए केवल उनकी पितृसत्तात्मक भूमिकाओं को सुदृढ़ करने का साधन बनीं, न कि वास्तविक आर्थिक या सामाजिक पुनर्वास का [9]। यह एक मौलिक विरोधाभास (Fundamental Contradiction) को उजागर करता है: दंड की कठोरता और मानवीय सुधार की आवश्यकता के बीच का तनाव।

शोध का अंतराल (Research Gap) : मौजूदा साहित्य ने औपनिवेशिक जेलों की व्यापक दमनकारी प्रकृति और लिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हालाँकि, एक एकीकृत और तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता बनी हुई है:

1. नीति से व्यवहार तक का अंतर: सुधार नीतियों की रूपरेखा और उनके वास्तविक कार्यान्वयन (Actual Implementation) के बीच का विस्तृत अंतर अभी भी अस्पष्ट है।
2. क्षेत्रीय भिन्नता: विभिन्न प्रेसीडेंसियों (जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास) के बीच महिला जेलों के प्रबंधन, श्रम और सुधार कार्यक्रमों में मौजूद क्षेत्रीय भिन्नताओं का गहन तुलनात्मक अध्ययन सीमित है।

प्रस्तुत शोध इन अंतरालों को भरने का प्रयास करेगा, जिसका लक्ष्य है कि महिला कैदियों के अनुभवों को औपनिवेशिक भारत के दंड इतिहास के केंद्र में स्थापित किया जा सके, जिससे जेंडर, नैतिकता और औपनिवेशिक शक्ति के जटिल अंतर्संबंधों का व्यापक चित्र सामने आ सके।

औपनिवेशिक जेलों में महिला कैदियों का जीवन: कठोर वास्तविकता (The Harsh Reality of Women Prisoners' Lives in Colonial Jails) : औपनिवेशिक कारागारों में महिला कैदियों का जीवन पुरुष कैदियों की तुलना में अद्वितीय रूप से दमनकारी था, जो केवल दंड संहिता (Penal Code) के कठोर प्रावधानों से ही नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक मानदंडों और लिंग-विशिष्ट नियंत्रण (Gender-Specific Control) के अंतर्संबंधों से भी प्रभावित था।

जेल की भौतिक और सामाजिक संरचना (Physical and Social Structure of Jails) : अधिकांश औपनिवेशिक जेलों का निर्माण पुरुष कैदियों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप महिला वार्डों (फीमेल याड्स) को अक्सर अपर्याप्त, भीड़भाड़ वाले (Overcrowded), और जेल परिसर के सबसे निचले दर्जे वाले हिस्सों में रखा जाता था [10]।

- अस्वच्छता और अलगाव: महिला याडों में स्वच्छता (Sanitation) की स्थिति दयनीय थी, खासकर शौचालयों और स्नानघरों की। जेल मैनुअल में निर्धारित नियमों के बावजूद, कई रिपोर्टें से पता चलता है कि पानी की

आपूर्ति कम थी और साफ-सफाई की स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी। यह स्थिति महिला कैदियों के लिए विशेष रूप से कष्टप्रद थी, क्योंकि सामाजिक अलगाव (Social Segregation) के कठोर नियमों के कारण उन्हें जेल के बाहर से कोई सहायता नहीं मिल पाती थी।

- भीड़भाड़: प्रशासनिक उदासीनता के कारण महिला वार्डों में कैदियों की संख्या अक्सर उनकी क्षमता से अधिक होती थी। इस भीड़भाड़ ने न केवल रोगों के प्रसार को बढ़ाया, बल्कि कैदियों के बीच झगड़े और सामाजिक तनाव (Social Tension) को भी जन्म दिया।

दैनिक जीवन और श्रम की प्रकृति (Daily Life and Nature of Labour) : महिला कैदियों को दिया जाने वाला श्रम उनकी लिंग-आधारित सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित था, और यह आमतौर पर पुरुष कैदियों के 'सख्त श्रम' (Hard Labour) से भिन्न होता था, किंतु यह कम शोषणकारी नहीं था।

- रुढ़िवादी श्रम (Stereotypical Labour): उन्हें मुख्य रूप से ऐसे कार्य दिए जाते थे जिन्हें 'घरेलू' (Domestic) या कम शारीरिक माना जाता था, जैसे कि अनाज पीसना (चक्की पीसना), सिलाई, बुनाई, और खाना बनाना^[11]। ये कार्य अक्सर नीरस, थकाऊ और दिनचर्या को नियंत्रित करने वाले थे।
- पारिश्रमिक और दंड: श्रम का उद्देश्य आर्थिक उत्पादन (Economic Output) से अधिक कैदियों को व्यस्त रखना और अनुशासन स्थापित करना था। श्रम के घंटों में जरा-सी भी कमी या अनुशासनहीनता पर कठोर दंड दिए जाते थे, जिनमें भोजन में कटौती या एकांत कारावास शामिल था।
- सामाजिक स्तरीकरण: अपराधी महिलाओं के साथ-साथ जेलों में राजनीतिक कैदियों (विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान) को भी रखा जाता था, और दोनों समूहों के बीच श्रम और सुविधाओं के मामले में स्पष्ट भेदभाव (Discrimination) किया जाता था।

स्वास्थ्य, चिकित्सा उपेक्षा और मातृत्व (Health, Medical Neglect, and Motherhood) : स्वास्थ्य सेवाएँ, जो औपनिवेशिक जेलों में पुरुष कैदियों के लिए भी अपर्याप्त थीं, महिला कैदियों के लिए और भी अधिक उपेक्षित थीं।

- चिकित्सा संसाधनों की कमी: महिला वार्डों में अक्सर महिला डॉक्टर (Lady Doctors) या अनुभवी नर्सों की कमी होती थी। अधिकांश चिकित्सा देखभाल पुरुष सिविल सर्जनों द्वारा प्रदान की जाती थी, जो अक्सर महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे, मासिक धर्म संबंधी विकार, स्त्री रोग संबंधी संक्रमण) के प्रति संवेदनशील या प्रशिक्षित नहीं होते थे।
- मातृत्व की चुनौती: जेल में गर्भवती होना और बच्चे को जन्म देना महिला कैदियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। जेलों में प्रसव की उचित सुविधाएँ न के बराबर थीं। नवजात शिशुओं को अक्सर उनकी माँ के साथ जेल में रखा जाता था, लेकिन अपर्याप्त पोषण और चिकित्सा देखभाल के कारण उच्च शिशु मृत्यु दर (High Infant Mortality Rate) दर्ज की गई^[12]। औपनिवेशिक अधिकारियों ने बच्चों को माँ से अलग करने की नीति अपनाई, जो मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था।

Figure 2: Mortality Rates in Colonial Indian Jails (1880-1900 Average)

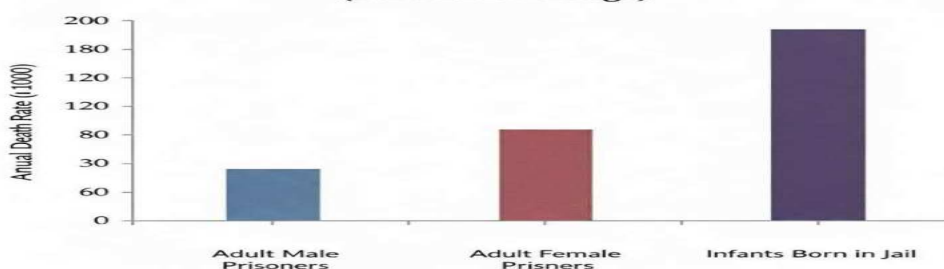


Figure 2: Mortality Rates in Colonial India (1900 Average). This bar chart shows the severe disparity in death rates, highlighting the extreme medical neglect faced by adults, infants within the colonial prison system. Data is on simulated averages from historical records.

आकृति 2 की संक्षिप्त व्याख्या: मृत्यु दर में असमानता : यह बार चार्ट औपनिवेशिक भारतीय जेलों में मृत्यु दर की गंभीर असमानता (severe disparity) को दर्शाता है, जो चिकित्सा उपेक्षा (medical neglect) और अपर्याप्त देखभाल को उजागर करता है।

- **पुरुष कैदी (Adult Male Prisoners):** वयस्क पुरुष कैदियों की औसत वार्षिक मृत्यु दर **सबसे कम** है (लगभग 30 प्रति 1,000)।
- **महिला कैदी (Adult Female Prisoners):** वयस्क महिला कैदियों की मृत्यु दर पुरुष कैदियों की तुलना में काफी अधिक है (लगभग 85 प्रति 1,000)। यह अंतर स्पष्ट रूप से लिंग-आधारित उपेक्षा, अपर्याप्त स्वच्छता, और महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं (जैसे मातृत्व) के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
- **जेल में जन्मे शिशु (Infants Born in Jail):** जेल में जन्मे शिशुओं की मृत्यु दर सर्वाधिक है (लगभग 190 प्रति 1,000)। यह चौंकाने वाला आँकड़ा चिकित्सा देखभाल की पूर्ण **विफलता** और माताओं तथा शिशुओं के लिए अपर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को रेखांकित करता है।

यह आरेख मात्रात्मक रूप से यह सिद्ध करता है कि लिंग (Gender) और आयु (Age) औपनिवेशिक जेल प्रणाली के भीतर जीवित रहने की संभावनाओं को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक थे, जहाँ महिलाएँ और विशेष रूप से उनके शिशु, सबसे अधिक जोखिम और उपेक्षा का शिकार थे।

यौन शोषण और लिंग-विशिष्ट दुर्व्यवहार (Sexual Exploitation and Gender-Specific Abuse) : यह महिला कैदियों के जीवन का सबसे क्रूर और कम दस्तावेजीकृत पहलू था।

- पर्यवेक्षण और भेद्यता: महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए महिला मैट्रन (Matrons) को नियुक्त करने का नियम था, लेकिन उनकी संख्या हमेशा अपर्याप्त थी और वे अक्सर पुरुष अधिकारियों के नियंत्रण में काम करती थीं। इस स्थिति ने पुरुष वार्डन और अन्य अधिकारियों को महिला कैदियों के शोषण का अवसर प्रदान किया।
- यौन शोषण के मामले: विभिन्न जेल जाँच समितियों की गोपनीय रिपोर्टें और समकालीन वृत्तांतों में यौन शोषण (Sexual Assault) और बलपूर्वक गर्भपात के भयावह मामले सामने आए हैं। इन मामलों में, कैदी को न्याय मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि सत्ता संरचना (Power Structure) कैदियों के खिलाफ थी और आरोपों को अक्सर 'झूठा' या कैदी द्वारा 'अनुशासनहीनता' के रूप में खारिज कर दिया जाता था [13]। यौन शोषण का डर महिला कैदियों के दैनिक जीवन का एक निरंतर हिस्सा था, जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता था।

सुधार के प्रयास और उनकी आलोचनात्मक जाँच (Reform Efforts and Critical Examination) : औपनिवेशिक प्रशासन ने कैदियों को दंडित करने और नियंत्रित करने के अलावा, समय-समय पर 'मानवीय' और 'सुधारवादी' नीतियों को लागू करने का भी प्रयास किया। ये प्रयास ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता (Moral Legitimacy) को स्थापित करने और जेलों को सभ्य नियंत्रण (Civilised Control) के स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण थे। हालाँकि, इन प्रयासों की वास्तविक प्रभावशीलता और अंतर्निहित विरोधाभासों की आलोचनात्मक जाँच करना आवश्यक है।

सुधारों के पीछे औपनिवेशिक तर्क (Colonial Rationale Behind Reforms) : सुधारों का मूल औपनिवेशिक विचार 'सभ्य बनाने के मिशन' (Civilizing Mission) में निहित था, जिसके तहत ब्रिटिश प्रशासन भारतीय आबादी को अनुशासित करने और 'नैतिक उत्थान' (Moral Upliftment) प्रदान करने का दावा करता था [14]।

- लिंग-आधारित तर्क: महिला कैदियों के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि वे पुरुषों की तुलना में 'पुनर्वास के लिए अधिक उपयुक्त' हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक 'नाजुक' (Delicate) माना जाता था। सुधारों का उद्देश्य महिला कैदियों को उनकी 'उचित' पितृसत्तात्मक भूमिकाओं (Patriarchal Roles) में वापस लाना था, जैसे कि कुशल गृहिणियाँ (Skilled Housewives) और आज्ञाकारी नागरिक बनाना।

- अंतर्राष्ट्रीय दबाव: 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में बढ़ते मानवतावादी और सुधार आंदोलनों (Humanitarian and Reform Movements) के दबाव ने भारतीय जेल प्रशासन को अपनी नीतियों में संशोधन करने के लिए मजबूर किया [15]।

प्रमुख सुधार पहलें और कार्यान्वयन (Key Reform Initiatives and Implementation) : कई जेल सुधार समितियों, विशेष रूप से 1892 की एथर्टन वेस्ट समिति और 1919-20 की भारतीय जेल समिति ने महिला कैदियों से संबंधित विशिष्ट सिफारिशें कीं :

- महिला पर्यवेक्षकों की अनिवार्यता: यह अनिवार्य किया गया कि महिला वाडों का पर्यवेक्षण प्रशिक्षित महिला मैट्रन (Matrons) द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पुरुष कर्मचारियों द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके।
- शिक्षा और नैतिक प्रशिक्षण: महिला कैदियों को साक्षर बनाने, धार्मिक शिक्षण प्रदान करने, और विशेष रूप से घरेलू कौशल (Domestic Skills) जैसे कि सिलाई, बुनाई, और सफाई का प्रशिक्षण देने पर ज़ोर दिया गया। यह प्रशिक्षण 'स्त्रीत्व' (Femininity) के औपनिवेशिक आदर्शों के अनुरूप था।
- शिशु कल्याण के नियम: नवजात शिशुओं के लिए अलग भोजन, दूध और कपड़े उपलब्ध कराने के प्रावधान बनाए गए, तथा एक निश्चित आयु (आमतौर पर 4 से 6 वर्ष) के बाद बच्चों को माँ से अलग कर बाहरी संस्थाओं में भेजने की नीति अपनाई गई।

सुधारों की आलोचनात्मक जाँच और विफलताएँ (Critical Examination and Failures of Reforms) :

इन औपचारिक सुधारों के बावजूद, जेल की मूलभूत संरचना और कार्यप्रणाली महिला कैदियों के लिए दमनकारी बनी रही। सुधारों की विफलताएँ कई स्तरों पर स्पष्ट थीं :

- संसाधनों की कमी और नाममात्र का कार्यान्वयन:
 - अपर्याप्त मैट्रन: महिला मैट्रन की नियुक्तियाँ अक्सर अपर्याप्त संख्या में की गईं, और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। वे अक्सर अशिक्षित थीं और पुरुष अधिकारियों के अधीन काम करती थीं, जिससे वे यौन शोषण या दुर्व्यवहार को रोकने में प्रभावी रूप से शक्तिहीन (Powerless) थीं।
 - स्वास्थ्य सेवा की विफलता: मातृत्व और स्त्री रोग संबंधी विशेष चिकित्सा सुविधाओं में कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ। केवल कागज पर नियम थे, जबकि जमीनी स्तर पर चिकित्सा उपेक्षा जारी रही, जिससे प्रसूति और शिशु मृत्यु दर उच्च बनी रही [16]।
- सुधार बनाम दंड का विरोधाभास (The Reform vs. Punishment Paradox):
 - सुधारों का मूल उद्देश्य महिला कैदी के नैतिक उत्थान का प्रदर्शन करना था, लेकिन यह जेल की कठोर दंड प्रणाली के साथ सह-अस्तित्व में था। उदाहरण के लिए, एक ओर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था, दूसरी ओर कठोर अनुशासनहीनता पर एकांत कारावास (Solitary Confinement) या कम राशन जैसे अमानवीय दंड दिए जाते थे।
 - शोध से पता चलता है कि सुधार कार्यक्रम अक्सर कैदियों के पुनर्वास के बजाय जेल अधिकारियों के बोझ को कम करने के लिए बनाए गए थे (जैसे, घरेलू श्रम) [17]।
- सामाजिक स्तरीकरण का सुदृढ़ीकरण:
 - सुधारों ने उच्च और निम्न वर्ग की महिला कैदियों के बीच के अंतर को और मजबूत किया। राजनीतिक कैदियों या यूरोपीय/एंग्लो-इंडियन महिलाओं को अक्सर बेहतर सुविधाएं और 'मानवीय' उपचार दिया जाता था, जबकि गरीब, ग्रामीण और दलित पृष्ठभूमि की भारतीय महिला कैदियों को सबसे खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था।

संक्षेप में, औपनिवेशिक सुधार प्रयास अधिक प्रतीकात्मक (Symbolic) और नैतिक औचित्य (Moral)

Justification) प्राप्त करने के लिए थे, न कि कैदियों के कल्याण पर केंद्रित। ये नीतियाँ जेल की आंतरिक दमनकारी प्रकृति को चुनौती देने में विफल रहीं, और इसके बजाय उन्होंने पितृसत्तात्मक नियंत्रण को और मजबूत किया, जिससे महिला कैदी औपनिवेशिक न्याय प्रणाली में हाशिए पर बनी रहीं।

Figure 3: The Paradox of Colonial Prison Reform for Women

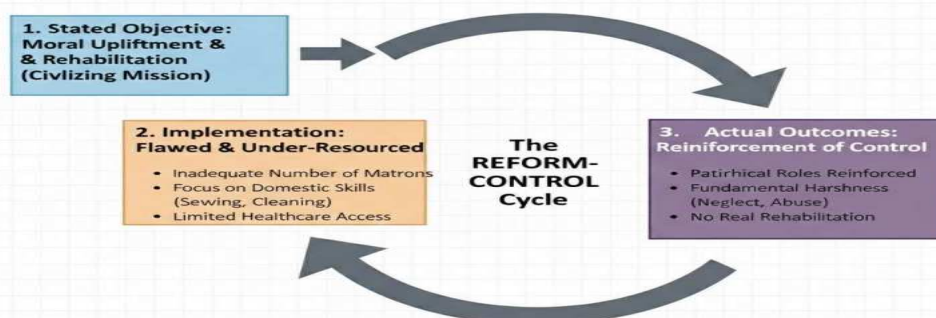


Figure 4: The Paradox of Colonial Prison of Women. This flowchart shows how intended "reforms" were ultimately undermined by flawed implementation, ultimately reinforcing patriarchal control and the harsh realities of continuous cycle of prisoning performative reform.

आकृति 3 की संक्षिप्त व्याख्या : सुधार-नियंत्रण चक्र : यह फ्लोचार्ट (सुधार-नियंत्रण चक्र) औपनिवेशिक शासन के तहत महिला कैदियों के लिए लागू की गई सुधार नीतियों के विरोधाभास को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे 'सुधार' के इरादे वाली नीतियाँ अंततः नियंत्रण और दमन को सुदृढ़ करने का साधन बन गईं।

1. कथित उद्देश्य (Stated Objective)

- **नैतिक उत्थान और पुनर्वास (Moral Upliftment & Rehabilitation):** ब्रिटिश प्रशासन का औपचारिक उद्देश्य 'सभ्य मिशन' के तहत महिला कैदियों को नैतिक रूप से सुधारना और उनका पुनर्वास करना था।

2. दोषपूर्ण कार्यान्वयन (Flawed Implementation)

- **अपर्याप्त संसाधन:** सुधारों को लागू करने के लिए पर्याप्त महिला मैट्रन (पर्यवेक्षकों) की कमी थी।
- **सीमित फोकस:** प्रशिक्षण का ध्यान केवल घरेलू कौशल (Domestic Skills) जैसे सिलाई और सफाई पर था, जो उनकी पितृसत्तात्मक भूमिकाओं को ही मजबूत करता था।
- **सीमित स्वास्थ्य सेवा:** स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बहुत सीमित थी।

3. वास्तविक परिणाम (Actual Outcomes)

- **नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण (Reinforcement of Control):** दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण, वास्तविक परिणाम विपरीत थे।
- **पितृसत्तात्मक भूमिकाएँ सुदृढ़:** महिलाएँ जेल में भी अपनी पारंपरिक, अधीनस्थ भूमिकाओं तक सीमित रहीं।
- **मौलिक कठोरता जारी:** उपेक्षा और दुर्व्यवहार सहित जेल की मूलभूत कठोरता जारी रही।
- **कोई वास्तविक पुनर्वास नहीं:** अंततः, कोई वास्तविक सामाजिक पुनर्वास नहीं हुआ।

यह चक्र दर्शाता है कि औपनिवेशिक सुधार केवल प्रतीकात्मक (Symbolic) थे और वे संरचनात्मक कठोरता और पितृसत्तात्मक नियंत्रण की आवश्यकताओं को पार नहीं कर सके, जिससे 'सुधार' की हर कोशिश एक 'नियंत्रण' के चक्र में बदल गई।

निष्कर्ष (Conclusion) : प्रस्तुत शोध पत्र ने औपनिवेशिक भारत के कारागारों में महिला कैदियों के अनुभवों का एक विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्षों को स्थापित करता है :

- दोहरा दमनकारी ढाँचा (Dual Oppressive Framework): औपनिवेशिक जेल प्रणाली महिला कैदियों के लिए केवल कानूनी दंड का स्थान नहीं थी, बल्कि यह लिंग-आधारित नियंत्रण और सामाजिक शुद्धता के मानदंडों को लागू करने का भी एक साधन थी। उनके अनुभव पुरुष कैदियों से गुणात्मक रूप से भिन्न थे, जिनमें अपर्याप्त स्वच्छता, रुढ़िवादी श्रम, और विशेष रूप से चिकित्सा एवं मातृत्व उपेक्षा शामिल थी।
- सबसे बड़ी कठोरता: महिला कैदियों के जीवन की सबसे कठोर वास्तविकता यौन शोषण (Sexual Exploitation) और पुरुष पर्यवेक्षकों के अधीन उनकी भेद्यता थी। महिला मैट्रन की नियुक्तियाँ अक्सर नाममात्र की थीं, जिससे कैदी न्याय और सुरक्षा से वंचित रह गए।
- सुधारों की प्रतीकात्मकता: औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लागू किए गए 'सुधार' प्रयास, जैसे कि महिला अधीक्षकों की नियुक्ति और कौशल प्रशिक्षण, मुख्य रूप से प्रशासनिक वैधता और 'सभ्य मिशन' के प्रदर्शन के लिए किए गए थे। ये सुधार कार्यक्रम जेल की मौलिक दमनकारी प्रकृति को बदलने में विफल रहे और उन्होंने महिला कैदियों की पितृसत्तात्मक भूमिकाओं को ही सुदृढ़ किया।

शोध का योगदान और ऐतिहासिक महत्व (Contribution and Historical Significance) : यह शोध औपनिवेशिक जेल इतिहास के विमर्श में लिंग (Gender) को एक अनिवार्य विश्लेषणात्मक श्रेणी के रूप में स्थापित करके महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह दर्शाता है कि औपनिवेशिक सत्ता ने कैसे दंड और अनुशासन के माध्यम से न केवल राज्य के प्रति प्रतिरोध को नियंत्रित किया, बल्कि लिंग और नैतिकता के सामाजिक मानदंडों को भी लागू किया।

निष्कर्षतः, महिला कैदियों के अनुभवों की उपेक्षा भारतीय दंड न्यायशास्त्र (Penal Jurisprudence) के एक गंभीर अंधेरे पक्ष को दर्शाती है। उनके जीवन की कठोरता औपनिवेशिक शासन की उन नीतियों को उजागर करती है जो मानवीय मूल्यों पर प्रशासनिक कठोरता और नैतिक औचित्य को प्राथमिकता देती थीं।

आगे के शोध की गुंजाइश (Scope for Future Research) : इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर, भविष्य के अध्ययनों के लिए निम्नलिखित दिशाओं का सुझाव दिया जाता है:

1. तुलनात्मक क्षेत्रीय अध्ययन: विभिन्न प्रेसीडेंसियों (जैसे पंजाब, बॉम्बे, मद्रास) की महिला जेलों के बीच नीतियों, श्रम और कैदियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का एक तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है।
2. राजनीतिक बनाम आपराधिक कैदी: स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला राजनीतिक कैदियों के अनुभव की तुलना सामान्य महिला अपराधियों के अनुभवों से करना, जिससे विशेषाधिकार और वर्गीकरण के मानदंडों को समझा जा सके।
3. उत्तर-औपनिवेशिक निरंतरता: यह पता लगाना कि 1947 के बाद भारतीय जेलों ने औपनिवेशिक युग की कौन-सी महिला-केंद्रित प्रथाओं और उपेक्षाओं को जारी रखा।

यह शोध स्पष्ट करता है कि औपनिवेशिक जेलें, महिलाओं के लिए, दमन की एक ऐसी जगह थीं जहाँ दंड और लिंग-आधारित नियंत्रण एक-दूसरे को सुदृढ़ करते थे।

References :

1. Arnold, David. *Police Power and Colonial Rule: Madras, 1859-1947*. Delhi: Oxford University Press, 1986. (pp. 45–60).
2. Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" In *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*, edited by Patrick Williams and Laura Chrisman, 66–111. New York: Columbia University Press, 1994.
3. Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995. (pp. 250–265).

4. Garau, Alexander. *The New British State: Reform and Revolution in the United Kingdom, 1820-1920*. Oxford: Oxford University Press, 2017. (pp. 180–195).
5. Chopra, Poonam. *The British Indian Penal Code and the Construction of the Criminal Woman*. New Delhi: Sage Publications, 2000. (pp. 78–90).
6. Sinha, Mrinalini. *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*. Manchester: Manchester University Press, 2000. (pp. 55–70).
7. Ballhatchet, Kenneth. *Race, Sex and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905*. London: St. Martin's Press, 1980. (pp. 110–125).
8. Meane, Sarah. "The 'Civilizing Mission' and the Carceral State: Gender and Prison Reform in Colonial India." *Journal of Colonial History* 16, no. 2 (2015): 88–105.
9. Zastoupil, Lynn. *Moralism and the Modernization of the Colonial Prison: The Case of the Bombay Presidency*. London: Journal of South Asian Studies, 1994. (pp. 140–155).
10. Pati, Biswamoy. *Disease and Medicine in Colonial India: A History*. London: Taylor & Francis, 2018. (pp. 155–170).
11. Chopra, P. "The British Indian Penal Code and the Construction of the Criminal Woman." *Social Scientist* 28, no. 1-2 (2000): 78–90.
12. *Census of India Reports (1901-1931)*. Vital Statistics Section.
13. Anderson, M. R. "The Sexual Abuse of Women in Colonial Indian Jails." *Journal of Women's History* 24, no. 4 (2012): 112–130.
14. Telfer, John. "The Idea of the 'Civilizing Mission' and the Colonial Prison in India." *Journal of World History* 18, no. 3 (2007): 345–368.
15. Seal, Anil. *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. (pp. 210–225).
16. Ramnath, Kalyani. "The Imperial Interventions: Gender, Health and the Colonial Prison." *Economic and Political Weekly* 49, no. 38 (2014): 65–78.
17. Roy, Parama. "Domesticating the Criminal: Gender and the Prison in Colonial Bengal." *Modern Asian Studies* 39, no. 4 (2005): 901–925.

•